

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2017

सं. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के वर्तमान दरमानों की वैधता में, संलग्न आदेश के द्वारा, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2017 के 4 थे दिन पारित)

मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. बीपीसीएल के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 4 अगस्त, 2014 के आदेश सं. टीएएमपी/68/2012- बीपीसीएल द्वारा अनुमोदित किया गए थे। यह आदेश भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 2014 को अधिसूचित हुआ था। उक्त आदेश में प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च 2016 तक थी।
3. बीपीसीएल के दरमानों की वैधता, बीपीसीएल के अनुरोध पर, 21 जून, 2016 और 25 अक्टूबर, 2016 के आदेश द्वारा का विस्तार किया गया था। अंतिम विस्तार, तत्संबंधी आदेश में दिये गए कारणों से, 31 दिसंबर, 2016 तक किया गया था।
4. इस पृष्ठ भूमि में, अब बीपीसीएल ने अपने 20 दिसंबर, 2016 के पत्र संख्या बीपीसीएल/जोएनपी/ ओपीएस द्वारा दरों की वैधता को निम्नलिखित आधार पर 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है:-
 - (i) यह लगता है कि नई प्रशुल्क फरवरी, 2017 के मध्य तक था अंत तक अनुमोदित नहीं हो पायेंगी। यह आवश्यक हो जाता है कि बर्थ पर खड़े सभी पोतों के बीजक तैयार किये जाने हैं और इस जैटी/स्थान से कार्गो का लदान/उतारायी भी होगी।
 - (ii) हमारे सभी बीजक एसएपी से बनाये जाते हैं। बीजक पिछली तारीख से नहीं बनाये जा सकते क्योंकि सिस्टम ऐसा बीजक बनाना स्वीकार नहीं करेगा।
 - (iii) घाटशुल्क प्रभारों और भिन्न सेवाओं की दरों को एक-एक करके एसएपी में अद्यतन करने की जरूरत होगी।
 - (iv) इसके अतिरिक्त इन दरों को अद्यतन करने के लिए वित्त से अनुमोदन लेना होगा जिसके बिना ईआरपी दरों को अद्यतन नहीं करेगी।
5. बीपीसीएल ने 29 जुलाई, 2016 के पत्र के द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। इस प्रस्ताव पर परामर्श किया गया है और 10 अक्टूबर, 2016 को संयुक्त सुनवाई भी हो चुकी है। बीपीसीएल के प्रस्ताव से संबंधित अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण बीपीसीएल से मांगे गए हैं। बीपीसीएल ने अपने 27 अक्टूबर, 2016, 28 नवंबर, 2016 और 5 सितंबर, 2016 के पत्रों के द्वारा अपने उत्तर भेजे।
6. बीपीसीएल द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर और यह देखते हुए कि मामले के अंतिम निपटान तक पहुंचने में और नई दरों के प्रभावी होने में कुछ और समय लग सकता है, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता को 31 ऊपर दिये गए कारणों से मार्च, 2016 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
7. यदि ग्राह्य लागत और अनुमत प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अधिशेष निकलता है तो उसे 1 अप्रैल, 2016 के बाद की अवधि में उसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जायेगा।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./379/16(143)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2017

No. TAMP/68/2012-BPCL.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/68/2012-BPCL****The Bharat Petroleum Corporation Limited**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 4th day of January 2017)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) in the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/68/2012-BPCL dated 4 August 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 August 2014. The said Order prescribed a tariff validity till 31 March 2016.
3. The validity of the SOR of BPCL was extended at the request of the BPCL vide Order dated 21 June 2016 and 25 October 2016, the last extension being till 31 December 2016 for the reasons stated in the respective Orders.
4. In this backdrop, now, the BPCL vide its letter no. BPCL/JNP/OPS dated 20 December 2016 has requested to grant extension of validity of rates till 31 March 2017 on the following grounds:
 - (i). It is understood that the new tariff would not be approved, till about mid or end February' 2017. It is imperative that invoices be prepared for all vessels berthed and cargo unloaded/loaded from this jetty/ location.
 - (ii). All our invoicing is done through SAP. Invoices cannot be prepared back dated as the system does not accept such invoicing.
 - (iii). The rate for wharfage charges and different services needs to be updated individually in SAP.
 - (iv). Above all, approval has to be sought from finance for updating these rates, without which ERP will not update the rates.
5. The BPCL vide its letter dated 29 July 2016 has filed a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR). The proposal has been taken up on consultation. A Joint hearing on the case in reference was also held on 10 October 2016. Additional information/ clarification arising from the BPCL proposal was sought from BPCL and the BPCL has responded vide its letters dated 27 October 2016, 28 November 2016 and 5 December 2016. The submissions of BPCL are under scrutiny to finalise the case.
6. Based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and considering that it may take some more time to finalise the case and for the new rates to come into effect, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of BPCL upto 31 March 2017 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.
7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2016, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./379/16(143)]